

5293

F 1474

S-193



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967794

फोटो गवाहों के व्यक्तियों के आधार पर सत्यापित किया

विक्रय-मूल्य - 33,67,500 / -

स्टाम्प - 2,84,000 / -

परगना - व तहसील दादरी

विक्रय-विलेख

1. भूमि प्रकार - कृषि
2. परगना व तहसील-दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (उ० प्र०)
3. ग्राम दतावली
4. सम्पत्ति का विवरण-आराजी खसरा संख्या-70
5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.4057 हेक्टेयर
7. सडक की स्थिति - (परिशिष्ट के अनुसार)रोड से 1 किमी० से अधिक दूरी पर

मालचन्द



21/10/20

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
- 4 FEB 2009
स्टाम्प नं० 26 257
स्टाम्प नं० में शामिल किया गया
उप रोका दिया

राजबालू S/O मध्याग

R/O कैमराम्प - पश्चिमपुर दादरी कोषागार


बनामा ... 3,36,70,000/- = 50,000/-
जिस रजि०
उजरत ... 20/- = योग ... 50,20/- शब्द लगभग 800
श्री बालचन्द
पुत्र श्री भोमराज पेशा स्वकी
निवासी दत्ताकली दादरी
ने कार्यालय सब रजिस्ट्रार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 4/2/09
समय मध्य ... 4 व ... 5 बजे प्रस्तुत किया।

~~बालचन्द~~
सब रजिस्ट्रार दादरी
4/2/09

बालचन्द

संक्षेप का संपादन एवं इसमें लिखे
जसेदल मु० 33670000/- = पलेरतानुश्वार
जिसमें से
नखद से समक्ष पाकर उक्त श्री बालचन्द उक्त फ० I ने
वत्कमोल से श्री रामबालू S/O मध्याग निठ
कैमराला चक्र रीनपुर दादरी कोषागार
स्वीकार किया।





FEB 2000
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967795

2

8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/ कार्नर इत्यादि) – X
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेडो का मूल्यांकन – X
11. निर्माण का वर्ष – X
12. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है – नहीं

चौहददी

चौहददी खसरा संख्या – 70

पूरब – खसरा न0-69

पश्चिम – खसरा न0-74

उत्तर – खसरा न0-67

दक्षिण – खसरा न0-72

प्रथम पक्ष की संख्या – (1) द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



२१ मवाल

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं० 27 2500
स्टाम्प नं० 26 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

पत्नी रोहताश भारी
पुत्र श्री हरिशचन्द्र पेशा स्वामी
निवासी भागपुर दादरी
व श्री गिरिश कुमार
पुत्र श्री हरम-डा. पाथर स्वामी
निवासी डी-हरम-लाल सिटी मर्काडा रोड तिलपता करवन्वास
दादरी

गौतम बुद्ध
उप निबन्धक
4/2/09

लालचन्द

रामबाबू

Rohatash

Ganesh Kumar

साक्षी भले प्रतीत होते है चिन्ह
अंगुठा नियमानुसार लिये गये है

गौतम बुद्ध
उप निबन्धक
दादरी, गौतम बुद्ध मंदिर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967796

3

विक्रेता का विवरण

बालचन्द्र पुत्र श्री मोमराज निवासी ग्राम
दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
उ० प्र०।

**व्यवसाय - खेती
क्रेता का विवरण**

राम बाबू पुत्र श्री मधान निवासी कैमराला चक्रसैनपुर परगना
व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर। व्यवसाय - खेती

मैं कि बालचन्द्र पुत्र श्री मोमराज निवासी ग्राम दतावली
परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (जिन्हे आगे
विक्रेतागण कहा गया है) के है:-

बालचन्द्र



रामबाबू

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

-4 FEB 2009

स्टाम्प नं० 28 25
स्टाम्प नं० 26 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967797

4

जो कि विक्रेता अपनी भूमि खाता सं०-73 खसरा संख्या -70, रकबा 0.5410 हेक्टेयर, मे अपना सम्पूर्ण 3/4 भाग रकबा 0.4057 हेक्टेयर स्थित ग्राम दतावली परगना व तहसील -दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ० प्र० का मालिक व काबिज है। उक्त भूमि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है और विक्रेता को वरासतन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों (खसरा, खतौनी) मे विक्रेता के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, विभिन्न प्रकार के, रहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा, आदि से बरी व पाक व साफ है। जिसको विक्रय करने का पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता को प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को रूपयों की सख्त आवश्यकता है। अतः अपनी राजि खुशी से बिना किसी जोर दबाव, नाजायज के बय जरूरत हाशमे हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व पैमाईशी, जिसका विस्तृत विवरण इस अभिलेख के

मालिक



21/11/19

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं०... 29 2500
स्टाम्प नं०... 26... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967798

5

अन्त मे दिया गया है। को बकीमती मुबलिग रूपया—
 33,67,500 / (तेतीस लाख सठसठ हजार पाँच सौ रूपया
 मात्र) जिसके आधे रूपया—16,83,250 / (सोलह लाख
 तिरासी हजार दो सौ पचास रूपया मात्र) होते है। में
 वदहस्त राम बाबू पुत्र श्री मधान निवासी कैमराला
 चक्रसैनपुर परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
 । (जिसे आगे क्रेता कहा गया है) के पक्ष में बय फरोख्त
 कतई किया यानि कि बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य
 क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना अपने ही
 समीप क्रेता उपरोक्त कबुवी करा दिया अब आज की
 तारीख के बाद से विक्रेता या उसके वारिसान व कायम
 मुकामान का कोई हक या कोई हिस्सा व दावा उक्त
 विक्रित भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध मे किसी
 प्रकार का बाकी नहीं रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रित भूमि
 या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध मे क्रेता उपरोक्त से

Handwritten signature



21/11/19

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं० 20
स्टाम्प नं० 26 में शामिल किया गया
उप रोक किया

25000

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES


INDIA

INDIA

897798

2

—आपका पत्र दिनांक 18/01/09 को प्राप्त हुआ है। इस पत्र में आपने बताया है कि आपका बैंक खाता नं० 002, 18, 88, 000 (एचडीएफ बैंक) और नं० 002, 88, 01 (एचडीएफ बैंक) के नाम पर है। यह बैंक खाता आपका है और आप इसे अपने नाम पर रख सकते हैं। आपका बैंक खाता नं० 002, 18, 88, 000 (एचडीएफ बैंक) और नं० 002, 88, 01 (एचडीएफ बैंक) के नाम पर है। यह बैंक खाता आपका है और आप इसे अपने नाम पर रख सकते हैं।



दिनांक 18/01/09



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967799

6

अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामे के समक्ष बिलकुल नाजायज शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उजर दारी या हक दारी से विक्रित भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले मिलकीयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जावे, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा मार्ग गरशित निकले तो तमाम सूरतो में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेता व उसके वारिसान व कायम मुकामान की चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेंवे कोई मुकाम उजर का न होगा। यदि विक्रय विलेख को पंजिकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की उक्त भूमि पर निकलती है अथवा किसी व्यक्ति संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार ऋण शुल्क टेक्स लगान किराया अथवा अन्य

माल चण्ड

शिवका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967800

7

देय उस अवधि के मागे जाते है तब विक्रेता उस राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेता उक्त राशि को विक्रेता अथवा उसकी सम्पत्ति से वसूल लेगा विक्रित भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग राज मार्ग जनपदीय मार्ग लिंक मार्ग पर स्थित नही है। विक्रित भूमि मुख्य मार्ग से करीब 1 किमी० की दूरी पर स्थित है तथा 200 मीटर त्रिज्या के अन्दर कोई निर्माण नही है। विक्रित भूमि पर कोई पेड आदि नही लगा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है और जिसमे वर्तमान समय तक कृषि ही हो रही है विक्रेता व क्रेता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। विक्रित भूमि ग्राम दतावली परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उ० प्र० मे स्थित है विक्रित भूमि का कुल क्षेत्रफल 0.4057 हेक्टेयर है, जिस की मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा सर्किल रेट 85,00,000/रु० प्रति हेक्टेयर की दर से

लालचन्द



२१/०१/०९





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967801

8

निधारित है, लेकिन स्टाम्प 1000/रु0 प्रति वर्ग मीटर पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उक्त भूमि सिलिंग अथवा पट्टे नहीं है और न ही किसी सरकारी गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत की है।

अतः संस्थागत वित्त उ0 प्र0 सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग -5 अधिसूचना संख्या 1-सं0 वि0 क0 नि0 -5-2756/11-2008-500(1165) / 2007 लखनऊ दिनांक- 30 जून 2008 के अनुसार, शेड्यूल 1 के अनुसार विक्रय मूल्य पर मुबलिग रूपया 2,84,000/रु0 स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

क्रेता व विक्रेता के मध्य कोई इकरार नामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेता व क्रेता का स्थायी व अस्थयी

लाल रान्दे

21/05/08



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं० 33
स्टाम्प नं० 26 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967802

9

पता उपरोक्त अनुसार है। यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी/न्यायालय अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य घोषित कर दिया जाता है तब क्रेता विक्रेता से प्रतिफल मय कानूनी ब्याज वसूल पाने का अधिकारी होगा है।

मसौदाकर्ता ने मौका नहीं देखा है क्रेता विक्रेता के कथन के आधार पर मसौदा तैयार किया गया है चस्पा फोटो गवाहान के कथन पर केवल सत्यापित किये गये है। लिहाजा यह बैनामा रूबरू गवाहान खूब सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशो हवास व स्वस्थचित्त मन से निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे तथा क्रेता ने भी अपने हस्ताक्षर कर के बैनामे का निष्पादन किया।

बालचन्द्र




कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं. 34 25000
स्टाम्प नं. 26 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

967803

10

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता सं०-73 खसरा संख्या-70, रकबा 0.5410 हेक्टेयर
में अपना 3/4 भाग सम्पूर्ण रकबा 0.4057 स्थित ग्राम दतावली
परगना व तहसील -दादरी जिला गौतमबुद्धनगर, उ० प्र०

दादरी



दादरी



कार्यालय उप कोषागार
दादरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं० 35 2500
स्टाम्प नं० 26 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
15000

FIFTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000

पच्चीस हजार रुपये
कोषागार
दावरी



INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

245631

11

चौहददी

चौहददी खसरा संख्या -70

पूरब- खसरा न0-69

पश्चिम- खसरा न0-74

उत्तर- खसरा न0-67

दक्षिण- खसरा न0-72

11/11/11

21/11/11

कार्यालय उप कोषागार
वावरी

- 4 FEB 2009

स्टाम्प नं. 26
स्टाम्प नं. 26 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

15000


15000

भारत


05- 15000 15000 डि.डी.डी.

डि.डी.डी.

- 60-OF 15000 - प्रपु
- 45-OF 15000 - प्रपु
- 70-OF 15000 - प्रपु
- 25-OF 15000 - प्रपु



519010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

245632

12

तफसील वसलूयाबी जरसमन

बालचन्द पुत्र श्री मोमराज विक्रेता ने विक्रित भूमि का तय शुदा मूल्य रूपया 33,67,500 / (तेतीस लाख सठसठ हजार पाँच सौ रूपया मात्र) निम्न प्रकार प्राप्त किया

बालचन्द



रामबाबु



कार्यालय उप कोषागार
वावरी

-4 FEB 2009

स्टाम्प नं 37
स्टाम्प नं 26 न शामिल किया गया
उप रिकविया

कमलधर शिवाजी महाराज

जिसे एक कि प्रेम करीबि नि...
...
...
...
...
...



१५/०२/०९



FEB 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 919863

13

चैक संख्या 522856 अंकन-11,67,500/रु0 (ग्यारह लाख सठसठ हजार पाँच सौ रुपये मात्र) दिनांक-04-02-09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर ओमेगा ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर के द्वारा

21/02/09

अक्षय चन्द





FEB 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 919860

14

2. चैक संख्या 522855 अंकन-22,00,000/रु० (बाईस लाख रूपये मात्र) दिनांक-24-02-09 बैंक पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर ओमेगा ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर के द्वारा समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिये है।

लालचन्द



२१/०२/०९




FEB 2009
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 919861

15

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया-33,67,500 / (तेतीस लाख सठसठ हजार पाँच सौ रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी धनराशि विक्रित आराजी से सम्बन्धित क्रेता से पाना शेष नहीं रहा है।

बाल चन्द



२११७१७



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 919862

लालचन्द

16

विक्रेता



क्रेता



रोहताश

गवाह नं०01- विक्रेता की तरफ से -रोहताश भाटी पुत्र श्री हरीशचन्द्र भाटी निवासी
ग्राम भोगपुर पर० व तह० दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

Rohatash Bhatt

गवाह नं०02- क्रेता की तरफ से गिरिश कुमार यादव पुत्र श्री एस० डी० यादव
निवासी डी० एस० लाल सिटी मकौडा रोड ग्राम तिलपता करनवास पर०
तह० दादरी जिला गौतमबुद्धनगर ।

Girish Kumar

दिनांक-04-02-200-सुरोदाकर्ता-बी० आर० सिंह एडवोकेट
टाईप कर्ता-संदीप पाण्डे

12
 3126
 2
 31-3-2009
 9
 4
 (किसी का पता)

E 218825

भारत उत्तर प्रदेश

31/2/09

4/2/09

कारकीर्णी

पुस्तक संख्या 1843
 पृष्ठ 245 पर क्रम संख्या 1474
 278
 किया गया।

उपनि



मिहिरा मिहिरा इन्टरनेट रि... मिहिरा मिहिरा... मिहिरा मिहिरा...
 मिहिरा मिहिरा... मिहिरा मिहिरा... मिहिरा मिहिरा...
 मिहिरा मिहिरा... मिहिरा मिहिरा... मिहिरा मिहिरा...